न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 125 / 2019

आरसीएनएस नं. 2019 / 00125

मु0 शांति पुत्र नानूराम पत्नी ताराचन्द जाति नाई साकिन वार्ड नं. 2 पुरानी आबादी श्रीगंगानगर तहसील व जिला हनुमानगढ़। ——अपीलार्थी

बनाम

1. गोपाल पुत्र भंवरलाल
2. सरोज पुत्री भंवरलाल
3. प्रेम पुत्री भंवरलाल
4. मन्जू पुत्री भंवरलाल
5. सुमन पुत्री भंवरलाल
6. रेखा पुत्री भवंरलाल
7. भूप सिह पुत्र सोहनलाल
8. कमलेश पत्नी किशनलाल
9. पूनम पुत्री किशनलाल
10. ललिता पुत्री किशनलाल
11. वर्षा पुत्री किशनलाल
12. मोनिका पुत्री किशनलाल

जाति नाई साकिन गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

13. कान्ता पुत्री सोहनलाल जाति नाई साकिन लोहेवाली टंकी के पास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (नामकलमजन किया गया आदेश दिनांक 23.02.2021)
14. नारायणराम पुत्री बनवारीलाल जाति नाई साकिन गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
15. सुन्दरलाल पुत्र बनवारीलाल जाति नाई साकिन मोतीबास नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
16. दीनदयाल पुत्र पुत्र बनवारीलाल जाति नाई साकिन मोतीबास नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

17. बृजलाल पुत्र बनवारीलाल जाति नाई साकिन गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमागनढ।
18. निर्मला पत्नी राजाराम जाति नाई साकिन लोहेवाली टंकी के पास नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
19. रामेश्वर पुत्र नानूराम जाति नाई साकिन भानीपुरा बास नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
20. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

—असल रेस्पोडेण्ट

21. हजारी पुत्र नन्दलाल जाति नाई साकिन बिरमखेड़ा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)
22. रूप सिह पुत्र नन्दलाल जाति नाई साकिन बिरमखेड़ा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)
23. रवि पुत्र औमप्रकाश जाति नाई साकिन बिरमखेड़ा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)
24. सुमन पुत्री औमप्रकाश पत्नी राजेशजाति नाई साकिन पिरकामडिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
25. शीला पुत्री औमप्रकाश पत्नी कृष्ण जाति नाई साकिन पंचकोसी तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)
26. हरीश पुत्र देवीलाल जाति नाई साकिन मोजगढ तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)
27. धर्मजीत पुत्र देवीलाल जाति नाई साकिन मोजगढ तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)
28. रामस्वरूप पुत्र साहबराम जाति नाई साकिन नाईयावाली चक तहीसल व जिला श्रीगंगानगर।
29. लाली पुत्री साहबराम पत्नी नत्थूराम साकिन टालीवाला तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब)

—तरतीबी रेस्पोडेण्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

विरूद्ध निर्णय दिनांक 18.05.1982 द्वारा उपखण्ड अधिकारी नोहर

प्र0 सं0 26/1980

श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री महेश शर्मा एवं श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 7, 14, 18, 19

श्री राजेश कौशिक राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 सं0 20

निर्णय दिनांक 8.9.2022

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में भवंरलाल आदि वादीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 1955 के अन्तर्गत एक वाद पेश किया जिसमें कथन कियाकि चक राजासर तहसील नोहर के ख0 नं0 102 की 13–12 बीघा, 159 की 3.04 बीघा कुल 16–15 बीघा भूमि का नानूराम पुत्र हुणता गैर खातेदार काश्तकार था जिसमें वादीगण का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी नं. 1 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी नं0 2 ता 3 का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी नं. 4 का 1/4 हिस्सा है। नानूराम पुत्र हुणताराम फौत हो गया। वादग्रस्त आराजी मुस्तरका काश्त करते हैं जिसमें लगान काश्त का झगड़ा रहता है इसलिए प्रश्नगत भूमि का खाता तकसीम किया जावे। वादीगण एवं प्रतिवादी ने दावा मे राजीनामा पेश किया विचारण न्यायालय ने वाद वादीगण दिनांक 18.05.1982 के द्वारा डिक्री किया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि दावा में आवश्यक पक्षकारो का अभाव था। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण के कथनों पर विश्वास कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। पक्षकारों की कोई जांच नहीं की गई। वादीगण का वाद खाता तकसीम का है दावा में इस्तकरार हक बाबत कोई इस्तदुआ नहीं है इसके बावजूद विचारण न्यायालय ने वादीगण एवं प्रतिवादीगण को 1/4, 1/4 हिस्सा के खातेदार घोषित कर खाता विभाजन किया है। नानूराम पुत्र हुणता के फौत होने पर चारों पुत्रों ने साजिशाना कार्यवाही कर दावा दिनांक 18.05.1982 को डिक्री करवा लिया। नानूराम की तीन पुत्रियों और थी जिन्हें पक्षकार नहीं बनाया है। वादीगण ने जानबूझकर मातहत अदालत में अपीलांट एवं राधा, जमना पुत्रीयान

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

नानूराम को दावा में पक्षकार नहीं बनाया उनका भी विवादित भूमि में 3/7 हिस्सा है जो दावा में आवश्यक पक्षकार थी। अपीलाधीन निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। डिक्री 1982 की है जो 12 वर्ष बाद मियाद बाहर होने के कार शुन्य हो चुकी है इसके बावजूद साजिसाना कार्यवाही करके उसकी पालना करवाई गई है। विवादित भूमि का विरास्तन इन्तकाल अपने नाम दर्ज करवाने के लिए हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तो बताया कि विवादित भूमि न्यायालय के आदेश से आपके भाईयों के वारीसान के नाम दर्ज हो चुकी है तब अदालत में आकर निर्णय की नकल दिनांक 12.06.2019 को प्राप्त की तब जानकारी हुई जानकारी होते ही निर्णय की नकल प्राप्त कर अपील पेश कर दी है। अपील ज्ञान से अंदर मियाद है। अतः देरी क्षमा की जावे। अपीलाण्ट नानूराम की पुत्री होने के कारण उसक 1/7 हिस्सा है अपीलाण्ट को पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अपीलाधीन निर्णय से अपीलाण्ट प्रभावित पक्षकार है। धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जावे एवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.05.1982 को जारी किया गया था। अपीलाण्ट ने यह अपील 25.06.2019 को पेश की है। जो कि लगभग 19 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई है। अपील इतने विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई समुचित कारण नहीं बताया है। जबकि अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के लिए दिन प्रति दिन हुए विलम्ब का कारण बताया आवश्यक है। अपीलाट किसी तौर पर प्रभावित पक्षकार नहीं है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री सभी पक्षकारों की सहमति एवं राजीनामा के आधार पर विचारण न्यायालय ने पारित की है। अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया था तब प्रश्नगत आराजी में केवल पुत्रों का अधिकार था पुत्रियों का कोई अधिकार नहीं था। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अधीनस्थ न्यायालय में भवंरलाल आदि वादीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 1955 के अनतर्गत वाद पेश किया जिसमें वादग्रस्त मुश्तर्का आराजी का खाता तकसीम किया गया है। वादीगण एवं प्रतिवादी ने दावा मे राजीनामा पेश किया विचारण न्यायालय ने वाद वादीगण दिनांक 18.05.1982 के द्वारा डिक्री किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

प्रश्नगत आराजी नानूराम के नाम से थी अपीलाण्ट ने स्वयं को नानूराम की पुत्री होना बताते हुए उसमें 1/7 हिस्सा होने का कथन किया है। यह अपील अपीलाण्ट ने लगभग 37 वर्ष बाद प्रस्तुत की है। इतने विलम्ब से अपील प्रस्तुत करने का कोई समुचित कारण नहीं बताया है जबकि अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को प्रतिदिन के कारण का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट एक ही परिवार के सदस्य हैं अपीलाण्ट का यह तथ्य स्वीकार योग्य नहीं है कि उसे अपीलाधीन निर्णय का 37 वर्ष तक पता ही नहीं चला हो। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेष्ण के आधार पर अपीलांट का धारा 5 मियाद अधिनिमय का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है। धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज होने के कारण अपील भी खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व समय से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 8.9.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8/9/22

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़